6567/LDA 11.3.24

R10/S 1263 11.3.24

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 184 /आठ–1–24–03बजट/2021
लखनऊ : दिनॉक: 05 फरवरी, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गऊ घाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना की 4.55 हे0 भूमि जिसका स्वामित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पास है, का मुद्रीकरण का प्रस्ताव सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–269/पीआईयू–एलडीए/22–23, दिनांक 19.01.2023 एवं संख्या–283/पीआईयू–एलडीए/22–23, दिनांक 17.03.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	कुल भूमि (एकड़ में)	कुल भूमि (हेक्टेयर में)
1.	बरफखाना	21, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 148, 150, 230, 233, 234, 235, 243, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 258स	5.226	2.114
2.	अहमदगंज	14, 15, 16, 17, 18, 67, 36, 37/1, 37/2, 40, 44, 45, 70, 209, 210, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 238, 231, 232, 234, 235, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479/1, 479/3, 479/5, 479/6, 479/12, 480	4.323	1.749
3.	गजराहार	116, 115, 117, 118, 119, 120	1.722	0.696
	योग		11.271	4.55

2– लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

(1) ग्रीन कॉरीडोर के क्रियान्वयन हेतु गोमती नदी के दाये तटबंध के दोनों ओर गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से बर्फखाना (मिश्रीपुर बगिया) के अन्तंर्गत प्रस्तर–1 के तालिका के विवरणानुसार पड़ने वाली भूमि 4.55 हे0, जिसका स्वामित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का है, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

VC LDA & ACE(II) 7.3.24

URGENT सचिव कृ. प्रस्तुत करें। 11/03/2024

CE(PIU)
EE-7
कृ. आज ही पत्रावली सहित प्रस्ताव/आख्या प्रस्तुत करें।

Karyalaya Gyap-1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

V.C.

(2) ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के वित्त पोषण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उक्त निःशुल्क हस्तान्तरित की गयी 4.55 हे0 भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण को मुद्रीकरण कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। मुद्रीकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा।

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
10. जिलाधिकारी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में प्रस्तर-1 के तालिका के विवरणानुसार अंकित भूमि को राजस्व अभिलेखों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के नाम अंकित करने का कष्ट करें।
11. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में अपेक्षित कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करने हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, जनपद लखनऊ।

पत्रांकः305/ST/एसटी–एसडीएम/2025 दिनांकः18-6-2025

संयुक्त सचिव–अर्जन,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया कार्यालय पत्र सं0 501/ए0सी0/प्र0/2025 दिनांक 06.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जो ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत गऊ घाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना तक मोहल्ला–बरफखाना, अहमदगंज व ग्राम गजराहार की 4.55 हे0 भूमि का नामान्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में किये जाने विषयक है।

तत्क्रम में तहसीलदार सदर लखनऊ से जॉच कराया गया। जिसके क्रम में अवगत कराना है कि क्रम संख्या–1 मोहल्ला बरफखाना व क्रम सं0–2 अहमदगंज क्षेत्र शहर नं0 1 के अन्तर्गत आता है तथा लखनऊ शहर के उन 86 मोहल्लो के अन्तर्गत आता है, जिनके राजस्व अभिलेख सील है तथा तहसील स्तर पर उपलब्ध नहीं है। 86 मोहल्लो का प्रबन्धन लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग द्वारा किया जाता है। अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण से आपेक्षित है। क्र0 सं0–3 गजराहार का नामान्तरण किया जा चुका है।

तद्नुसार तहसीलदार सदर लखनऊ की जॉच आख्या दिनांक 17.06.2025 मूल रूप में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

उप जलाधिकारी,
सदर, लखनऊ

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- **उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण महोदय को सादर अवलोकनार्थ।**
- अपर जिलाधिकारी–भू0अ0, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जलाधिकारी,
सदर, लखनऊ